

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 477 / 2014

बउनवान

गोबरीलाल पुत्र धन्नालाल जाति-माली निवासी-फतेहपुर
तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री अब्दुल गफ्फार खान, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक- 29.11.2017

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.4.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-फतेहपुर, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 1831 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 80/-रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों व दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में कब बेदखल किया गया पत्रावली में प्रमाण मौजूद नहीं है इसलिये अपीलांट पश्चात्वर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली छोड़ रखी है तथा तावान राशि जमा करायी जा चुकी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अपीलांट भविष्य में अतिक्रमण नहीं

जिला कलक्टर
बारां (राज०)


करने हेतु वचनबद्ध है तथा तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.4.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जाँच व तफतीश कर, अतिक्रमी प्रमाणित होने पर अपीलांत के विरुद्ध उक्त आदेश पारित किया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी पाये जाने के उपरान्त ही बेदखली के आदेश प्रदान किये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 700/14 में पारित आदेश दिनांक 22.4.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर




(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)